इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2010—कार्तिक 28 शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010

क्रमांक 2955/मप्रविनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) (जी) सहपठित धारा 32 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 19 मई, 2006 को अधिसूचित मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 (आरजी-16, वर्ष 2006) में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 में तृतीय संशोधन

1. <u>प्रस्तावना</u>

भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्रधान ऋण प्रदाय दर (Prime Lending Rate)" प्रणाली के स्थान पर "आधार दर (Base Rate)" प्रणाली लागू किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये हैं । अतएव नवीन प्रणाली से संरेखित, वर्तमान विनियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

2. <u>संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ</u> : 2.1 (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 (तृतीय संशोधन) [एआरजी–16(iii), वर्ष 2010]"** कहलाएंगे ।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2.3 ये विनियम ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं को, जो मध्यप्रदेश राज्य में राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली एवं राज्यान्तरिक विद्युत उत्पादन स्टेशनों का उपयोग कर रहे हैं तथा जिनका अनुवीक्षण तथा सेवा प्रदाय कार्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, को लागू होंगे ।

3. <u>विनियम 9 में संशोधन</u> :

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 की **कण्डिका 9.9 (ii)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"9.9 **कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :**

(ii) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा गणना की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना उक्त वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को प्रयोज्य स्टेट बैंक आधार दर में चार प्रतिशत जोड़कर, की जाएगी । कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण न लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण मानकीकृत आधार पर वांछित कार्यकारी पूंजी की तुलना में अधिक हो गई हो ।"

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

Bhopal, Dated 30th October, 2010

No. 2955/MPERC-2010. In exercise of the powers conferred under Section 181 (1) (g) read with Section 32(3) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment to the Regulations, namely Madhya Pradesh Regulatory Commission (Levy and Collection of fee and charges by State Load Despatch Centre) (Revision-I) Regulations, 2006 (RG-16 of 2006) which was notified on 19th May, 2006.

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH REGULATORY COMMISSION (LEVY AND COLLECTION OF FEE AND CHARGES BY STATE LOAD DESPATCH CENTRE) (REVISION-I) REGULATIONS, 2006.

1. **Preamble**

The Reserve Bank of India has issued guidelines on introduction of "Base Rate" system in place of "Prime Lending Rate" system. As such, it is required to amend the existing Regulations accordingly in line with new system.

2. **Short Title and Commencement** : 2.1 These Regulations shall be called the **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fee and charges by State Load Despatch Centre) (Revision-I) Regulations, 2006 (Third Amendment) {ARG - 16 (iii) of 2010}.**

2.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall apply to the Licensees and Open Access Customers using the intra-State Transmission System and State Sector Generating Stations monitored and serviced by SLDC in the State of Madhya Pradesh.

3. **Amendment to Regulation 9**

In the **MPERC (Levy and Collection of fee and charges by State Load Despatch Centre) (Revision-I) Regulations, 2006**, **Clause 9.9 (ii)** shall be substituted as follows, namely:-

"9.9 Interest charges on working capital :

(ii) Rate of interest on working capital to be computed as provided subsequently in these Regulations shall be on normative basis and shall be equal to the applicable State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan compared to the working capital required on the normative basis."

By order of the Commission

P.K.Chaturvedi, Commission Secretary

भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर, 2010

क्रमांक – 3042/मप्रविनिआ/2010, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) (जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) विनियम, 2008 जिसे दिनांक 7 नवम्बर 2008 को प्रकाशित किया गया, को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात्:

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010

1. प्रस्तावना (Preamble):

आयोग द्वारा ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय (अक्षय) अपराम्परिक स्त्रोतों के संबंध में नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewal Purchase Obligations) वित्तीय वर्ष 2010–11 तक विनिर्दिष्ट किये गये थे। आयोग को विभिन्न अभिकरणों (Agencies) से सौर ऊर्जा तथा अन्य अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा उपयोग न की जा रही ऊर्जा के अधिकोषीकरण (Banking) के संबंध में संसूचनाएं तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अतएव, सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा के बारे में पृथक नवीकरणीय क्रय आबन्धन मय इसके अधिकोषीकरण की नीति (Banking Policy) के विद्यमान विनियमों के पुनरीक्षण के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जा रहे हैं।

2. संक्षिप्त शीर्षक, तथा प्रारम्भ : 2.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 (आरजी–33 (I), वर्ष 2010)" कहलायेंगे।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

3. परिभाषाएं :

(i) "**एबीटी** (Availability Based Tariff)" से अभिप्रेत है उपलब्धता आधारित विद्युत–दर (टैरिफ);

(ii) "**अधिनियम** (Act)" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) तथा इसमें किये गये अनुवर्ती संशोधन;

(iii) "**केन्द्रीय अभिकरण** (Central Agency)" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (National Load Despatch Centre) अथवा ऐसा अन्य अभिकरण जैसा कि केन्द्रीय आयोग समय–समय पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र (Renewable Energy Certificate) जारी करने हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(iv) "**केन्द्रीय आयोग** (Central Commisison)" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 76 की उपधारा(1) में उल्लेखित किया गया है ;

(v) "**प्रमाण–पत्र** (Certificate)" से अभिप्रेत है केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा इसे जारी किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें संबंधी विनियम, यथा Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र (Renewable Energy Certificate);

(vi) "**विद्युत सह–उत्पादन** (Cogeneration)" से अभिप्रेत है, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साथ ऊर्जा के दो अथवा इससे अधिक उपयोगी प्रकारों का उत्पादन करती है (विद्युत को सम्मिलित करते हुए);

(vii) "**आयोग**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अथवा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन;

(viii) "**वितरण अनुज्ञप्तिधारी** (Distribution Licensee)" से अभिप्रेत है, एक अनुज्ञप्तिधारी जो उपभोक्ताओं को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय हेतु एक वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण हेतु प्राधिकृत है;

(ix) "**वहनीय दर** (Forbearance Price)" से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा इसे जारी किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें संबंधी विनियम, यथा Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 यथा संशोधित के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित उच्चतम मूल्य दर जिसके अनुसार केवल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (REC Certificates) का ही ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Exchange) पर संव्यवहार किया जा सकता है ;

(x) "**ननऊम** (MNRE)" से अभिप्रेत है, भारत सरकार का नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy of the Government of India);

(xi) "**आबन्धित इकाई** (Obligated Entity)" से अभिप्रेत है इकाई, जैसे कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कैप्टिव उपभोक्तागण तथा खुली पहुंच उपभोक्ता जो इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) की आपूर्ति के अधिदेशाधीन (Mandated) है;

(xii) "**खुली पहुंच उपभोक्ता** (Open Access Consumer)" से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा यथासंशोधित CERC (Open Access in Inter State Transmission) Regulation, 2000 अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम

2005 के अन्तर्गत खुली पहुंच का लाभ प्राप्त किया गया है तथा इनमें सम्मिलित होंगे लघु–अवधि पारेषण/वितरण उपभोक्ता जैसा कि इन्हें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/म प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है;

(xiii) "**ऊर्जा विनिमय केन्द्र** (Power Exchange)" से अभिप्रेत है एक ऐसा ऊर्जा विनिमय केन्द्र जो विद्युत के विनिमय (आदान–प्रदान) हेतु केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है;

(xiv) "**अधिमान्य विद्युत दर** (Preferential Tariff)" से अभिप्रेत है राज्य आयोग द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के क्रय हेतु लागत जमा प्रतिलाभ दर कार्यविधि (Cost plus rate of return methodology) के अनुसार निर्धारित विद्युत–दर (टैरिफ);

(xv) "**नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत** (Renewable Energy Source)" से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्त्रोत, जैसे कि लघु जल–विद्युत (Small Hydro), लघुतम जल–विद्युत (Mini Hydro), पवन, सौर, बायोमास (Biomass), जैविक ईधन विद्युत सह–उत्पादन (Biofuel cogeneration), शहरी/नगरपालिक अपशिष्ट तथा ऐसे अन्य स्त्रोत जैसा कि वे नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार (MNRE) द्वारा अनुमोदित हैं;

(xvi) "**राभाप्रेके** (SLDC)" से अभिप्रेत हैं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा स्टेट लोड डेस्पेच सेंटर (State Load Despatch Centre) जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है;

(xvii) "**राज्य अभिकरण** (State Agency)" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाने वाला एक राज्यीय समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) अथवा अन्य कोई अभिकरण जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमाणीकरण तथा अनुशंसाओं हेतु पंजीकरण तथा कार्यो के उत्तरदायित्व वहन करने का अधिकार होगा;

(xviii) "**सौर पावर ऊर्जा संयंत्र** (Solar Photo Voltaic Power Plant)" से अभिप्रेत है, एक सौर फोटो वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र जो फोटो–वोल्टीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है;

(xixi) "**रापाइ (एसटीयू)**" से अभिप्रेत है, राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility);

(xx) "**पारेषण अनुज्ञप्तिधारी** (Transmisson Licensee)" से अभिप्रेत है, एक अनुज्ञप्तिधारी जो पारेषण तन्तुपथों (लाइनों) को स्थापित अथवा प्रचालित किये जाने के संबंध में उत्तरदायी है;

(xxi) **"यू आई (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज)"** से अभिप्रेत है, असूचीबद्ध विनिमय दर (Un-scheduled Interchange);

(xxii) **"वर्ष (Year)"** से अभिप्रेत है किसी केलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी केलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

(xxiii) जब तक संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो, इन विनियमों के प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जैसा कि इन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है ।

भाग – अ

4. **ऊर्जा के सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा (Quantum of Purchase of Electricity from Co-generation and Renewable Sources of Energy)**

4.1 समस्त आबन्धित इकाइयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से, विद्युत के सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, की न्यूनतम विद्युत की अधिप्राप्त (procure) की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, निम्न वित्तीय वर्षो के दौरान निम्नानुसार होगी:–

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा का विद्युत सह–उत्पादन तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत		
	सौर ऊर्जा (%)	गैर सौर ऊर्जा (%)	योग (%)
2010–11	—	0.80	0.80
2011–12	0.40	2.10	2.50
2012–13	0.60	3.40	4.00
2013–14	0.80	4.70	5.50
2014–15	1.00	6.00	7.00

4.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम क्रय अर्हताओं की आपूर्ति करते हैं तथा तत्पश्चात् भी उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह–उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा निवेशक/विकास अभिकरण आयोग से ऐसे अतिरिक्त अधिप्राप्ति प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में सम्पर्क कर सकते हैं ।

4.3 यदि कोई आबंधित इकाई (Obligated Entity) उपरोक्त विनियम 4.1 की न्यूनतम क्रय अर्हताओं की आपूर्ति करने में सक्षम न हो तो ऐसी दशा में आबन्धित इकाई को केन्द्रीय अभिकरण (Central Agency) से ऊर्जा प्रमाण–पत्र (Energy Certificates) क्रय करने होंगे जैसा कि इसे विनियमों के भाग–ब में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.4 आबन्धित इकाई हेतु न्यूनतम क्रय अर्हता की शर्त को आयोग द्वारा उक्त सीमा तक शिथिल किया जा सकता है जैसा कि वह युद्ध, हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा आदि जैसी आकस्मिक विशेष परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हो ।

4.5 ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन इकाइयों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति (Procurement) एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से केन्द्रीकृत रूप से आयोग द्वारा समय–समय पर उसके टैरिफ आदेश में अवधारित की गई विद्युत दर (टैरिफ) पर की जाएगी। इस प्रकार केन्द्रीकृत रूप से अधिप्राप्त की गई ऊर्जा को एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्व वर्षानुसार उनमें से प्रत्येक में कुल वास्तविक ऊर्जा आहरण के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की यह व्यवस्था अन्तरण योजना नियम, 2006 (Transfer Scheme Rules, 2006) के लागू रहने तक वैध रहेगी।

4.6 विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement - PPA) को विकास अभिकरण (Developer) तथा एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो कि बारी से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से पृष्ठ भाग से पृष्ठ भाग (Back to Back) अनुबंध करेंगे।

4.7 उपरोक्त आवंटन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष हेतु आवेदन में विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय की प्रस्तावित मात्रा, वितरण/खुदरा टैरिफ के अवधारण हेतु विद्युत क्रय के स्त्रोतों को दर्शाते हुए, प्रदर्शित करेंगे।

5 <u>विद्युत सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत टैरिफ का अवधारण (**Determination of Tariff of Electricity from Co-generation and Renewable Source**)</u> :

आयोग निर्दिष्ट नियंत्रण अवधि हेतु समय–समय पर विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारणा करेगा ।

6 <u>विद्युत क्रय अनुबंध (**Power Purchase Agreement**):</u>

6.1 विद्युत क्रय अनुबंध संयंत्र के क्रियाशील होने की तिथि से न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किया जाएगा यदि इसे अन्यथा टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट नही किया गया हो । तथापि, यदि विद्युत अनुज्ञप्तिधारी कम अवधि के लिये स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्षकार विक्रय द्वारा खपत के उपरान्त अपना विकल्प प्रस्तुत करता है, तो यह अनुबंध अल्पकालिक अवधि के लिये भी निष्पादित किया जा सकेगा।

6.2 विकास अभिकरणों (Developers) को, अनुबंध के निष्पादन से पूर्व समस्त वांछित वैधानिक सहमतियां, आयोग से अनुज्ञा प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त करनी होंगी । ऐसी सहमति/अनुज्ञा की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि हेतु लागू होगी।

7 संयोजन तथा मीटरीकरण (Connectivity and Metering)

7.1 समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन तथा सह–उत्पादन, केवल छत के ऊपर स्थापित सौर पीवी तथा बायोगैस स्त्रोतों को छोडकर, राज्य ग्रिड के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित की गई तकनीकी उपयुक्तता पर आधारित, 132/33/11 केवी के वोल्टेज स्तर पर संयोजित किये जाएंगे। छत के ऊपर स्थापित सौर पीवी स्त्रोत तथा बायोगैस संयंत्रों हेतु, संयोजन न्यून वोल्टेज पर अथवा 11/33 केवी पर, जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे तकनीकी रूप से उपयुक्त माना जाए, अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

7.2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित विद्युत उत्पादन को अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों (सौर, पवन, बायो–ऊर्जा आदि) के माध्यम से प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के अनुसार विद्युत की निकासी (Power evaculation) परियोजना का एकीकृत भाग होगी तथा विद्युत निकासी सुविधा संबंधी समस्त व्यय विकास अभिकरण (Developer) द्वारा वहन किये जाएंगे । इस प्रकार संस्थापित की गई अधोसंरचना, भले ही इसकी लागत का भुगतान विकास अभिकरण द्वारा किया गया हो, समस्त प्रयोजनों हेतु संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी । अनुज्ञप्तिधारी इसका अनुरक्षण विकास अभिकरण के परिव्यय पर करेगा तथा अन्य किसी विकास अभिकरण से अधिपाप्त की गई विद्युत की निकासी हेतु, इस शर्त के अध्यधीन कि इस प्रकार की गई व्यवस्था विद्यमान विकास अभिकरण(ों) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, उसे प्रयोग में लाने का अधिकार होगा।

7.3 मापन मापदण्डों हेतु उत्पादन संयंत्र स्थल पर वांछित मीटरीकरण का संस्थापन मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को मध्यप्रदेश राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी अधिसूचित की गई प्रोत्साहन नीति के अनुसार समय–समय पर जारी किये गये टैरिफ आदेशानुसार किया जाएगा।

7.4 मीटर का वाचन, तत्संबंधी वितरण अनुज्ञप्तिधारी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जैसा कि लागू हो, किया जाएगा । भुगतान हेतु देयकों के स्वीकार किये जाने के प्रयोजन हेतु, एमपी ट्रेडको द्वारा ग्रिड में अन्तःक्षेप किये गये यूनिटों हेतु संबंधित वितरण कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाएगा।

8 विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा से नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु खुली पहुंच (Open Access for Co-generation and Renewable Sources of Energy) :

राज्य के अन्दर ऊर्जा के विद्युत सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में पर्याप्त पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन, खुली पहुंच प्रदान की जाएगी जो कि म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को

अधिसूचित राज्य में ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

9 <u>विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से अनुसूचीकरण (Scheduling of Co-generation and Renewable Sources of Energy):</u>

ऊर्जा के विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को "सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धांतों (Merit Order Dispatch Principles)" की परिसीमाओं से बाहर रखा जाएगा।

10 <u>नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादक/विद्युत सह–उत्पादन से विद्युत प्रदाय बंद होने पर विद्युत का आहरण (Drawing power during shut down by generator/co-generation from Renewable Sources):</u>

नवीकरणीय स्त्रोतों के संयंत्र से विद्युत तथा विद्युत सह–उत्पादन प्रदाय बंद होने के दौरान अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में इनके विकास अभिकरणों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु ही विद्युत के आहरण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा । उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा की बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जाएगी।

11 <u>अन्य प्रयोज्य शर्तें(Other applicable Conditions):</u>

11.1 आयोग द्वारा भुगतान की पद्धति वह होगी जैसा कि वह समय–समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो या की जाएगी ।

11.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे उपभोक्ता, जो ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की संविदा मांग में कमी को, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित की गई म.प्र. राज्य में अपारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञेय किया जाएगा।

12. <u>अधिकोषीकरण (Banking)</u>

12.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत–ऊर्जा प्रदाय संबंधी सुविधा निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी:

(i) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, ऊर्जा के अपराम्परिक स्त्रोतों से उत्पादित समस्त ऊर्जा अधिकोषीकरण (Banking) हेतु अनुज्ञेय की जा सकेगी।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विद्युत ऊर्जा के अधिकोषीकरण के लेखे का प्रमाणीकरण, एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया जाएगा।

(iii) अधिकोषित की गई ऊर्जा की मात्रा की वापसी एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार की जाएगी।

(iv) सामान्यतः अधिकोषित ऊर्जा की वापसी दिनांक 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के मध्य 2300 बजे से 2400 बजे तक तथा 0000 बजे से 1700 बजे तक यूनिटों (किलोवाट ऑवर) की मात्रा के रूप में चक्रण प्रभारों (Wheeling charges) के प्रति 2 प्रतिशत की मात्रा घटा कर की जाएगी।

(v) ऊर्जा की उपलब्धता तथा रबी मौसम की मांग एवं शीर्ष मांग के समय को दृष्टिगत रखते हुए भी, अधिकोषित ऊर्जा माह नवम्बर से फरवरी के दौरान भी लौटाई जा सकेगी जैसा कि एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इसके बारे में निर्णय लिया जाए।

(vi) यदि वित्तीय वर्ष के अन्त में, अधिकोषित की गई विद्युत का कोई भाग असमायोजित रह जाता है तो ऐसी दशा में इस प्रकार की शेष विद्युत को क्रय की गई ऊर्जा माना जाएगा तथा इस हेतु भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्त में आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित दर पर अपराम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से अप्रत्याशित विद्युत प्रवाह (Inadvertent flow of energy) के रूप में किया जाएगा।

12.2 चक्रण प्रभार, प्रति सहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार तथा चक्रण प्रभारों पर प्रयोज्य प्रभार, आयोग द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय अनुसार लागू होंगे। कैप्टिव उपभोक्ताओं तथा खुली पहुंच उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से अधिप्राप्त की गई ऊर्जा के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

भाग – ब

13. <u>नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation)</u> :

13.1 नवीकरणीय क्रय आबन्धन जैसा कि इसे पूर्व में विनियम 4.2 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया है, आबन्धित इकाईयों द्वारा सदैव विशिष्ट प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति, यदि कोई हो, हेतु आरक्षित रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार इसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की ओर, केवल अस्थाई आधार पर व्यपवर्तित (divert) किया जा सकेगा तथा यह भी कि इस स्त्रोत से उपलब्ध समस्त ऊर्जा को क्रय किया जाएगा जब तक यह पूर्व में उल्लेखित प्रतिशत तक न पहुंच जाए तथा यदि फिर भी तत्पश्चात पूर्व में निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्धों (Power Purchase Agreements-PPA) जिनके संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में सहमति व्यक्त की गई है, के अन्तर्गत की गई ऊर्जा क्रय बचनबद्धता पर विचार करते हुए, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय, कुल नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) से अधिक हो जाता हो ।

13.2 इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा को क्रय करने संबंधी इस प्रकार की बचनबद्धता में क्रय, यदि कोई हों, शामिल होंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से आबंधित इकाईयों द्वारा पूर्व से ही निष्पादित किये जा रहे है।

13.3 इस विनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऊर्जा के इस प्रकार के क्रय भारत सरकार नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों से ही किये जाएंगे।

13.4 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के क्रय बाबत, पूर्व में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्धों के अन्तर्गत विद्युत का क्रय, जिसके बारे में आयोग द्वारा पूर्व से ही सहमति व्यक्त की गई है, उनका क्रय उनकी वर्तमान वैधता तक जारी रखा जाएगा, यदि इस प्रकार के निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्ध उपरोक्त उल्लेखित निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक भी हों ।

14 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र (Certificates under the Regulations of the Central Commission)

14.1 इन विनियमों की निबन्धन तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता तथा इन्हें जारी किये जाने के संबंध में जारी विनियम, यथा, (Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्रों को आबन्धित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत क्रय के संबंध में उनके अधिदेशित प्राप्त दायित्वों के संबंध में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निर्वहन हेतु एक वैध विलेख के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ।

14.2 ऐसे दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएं, इन विनियमों के अन्तर्गत आबन्धित इकाईयां नवीकरणीय क्रय आबन्धन के परिपालन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों की अधिप्राप्ति के संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम, यथा (Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 के अनुरूप कार्यवाही करेंगी ।

14.3 आबन्धित इकाईयों द्वारा ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Excharge) से क्रय किये गये प्रमाण–पत्र केन्द्रीय आयोग के विनियमों की शर्तों के अनुसार आयोग के समक्ष क्रय के 15 दिवसों के अन्दर प्रस्तुत किये जाएंगे।

15 चूक का प्रभाव (Effect of Default)

15.1 ऐसी दशा में, जबकि आबन्धित इकाईयॉ ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Exchange) से इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा क्रय करने के आबन्धन के अधिदेश (mandate) की पूर्ति नही करती हैं, तो:

(i) आयोग आबन्धित इकाई को एक पृथक निधि (Fund) जमा करने बावत निर्देशित कर सकेगा जिसका संधारण आबन्धित इकाई द्वारा किया जाएगा, जो ऐसी राशि होगी जिसका निर्धारण आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु उक्त सीमा तक नवीकरणीय क्रय आबन्धन मे यूनिटों की कमी के तथा प्रमाण–पत्रों की वहनीय दर (Forbearance Price) के आधार पर, जो उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक होगा, किया जाएगा जैसा कि इसके संबंध में आयोग द्वारा आंशिक रूप से प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु तथा आंशिक रूप से पारेषण अधोसंरचना के विकास के लिये विद्युत उत्पादक स्टेशनों से ऊर्जा की निकासी के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित निर्देशित किया जाए ।
बशर्ते आबन्धित इकाईयों को उपरोक्त कण्डिका (i) के अनुसरण में, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना सृजित निधि के उपयोग हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

(ii) आबन्धनों को परिपूर्ण किये जाने संबंधी कमी की सीमा के अधीन, आयोग राज्य–समन्वयन अभिकरण (State nodal agency) के किसी अधिकारी को ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Exchange) से निधि की राशि में से वांछित प्रमाण–पत्रों की संख्या अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

15.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्देशित राशि को संसूचित तिथि से 15 दिवस की अवधि के अन्दर जमा करने में असफल रहता है, तो इसे अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन माना जाएगा ।

15.3 इसके अतिरिक्त, जहां कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा इन विनियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य है, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के माध्यम से वांछित ऊर्जा का प्रतिशत क्रय करने में असफल रहता है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत अर्थदण्ड (penalty) का भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा इसके बारे में विनिश्चय किया जाए।

भाग – स

16 संशोधन हेतु शक्ति

16.1 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

16.2 किसी विवाद की दशा में, मामले को आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका इस बारे में निर्णय अन्तिम होगा ।

17 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

आयोग किसी स्वप्रेरणा द्वारा अथवा विद्युत सह–उत्पादन अथवा नवीकरणीय स्त्रोत अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किसी आवेदन पर इन विनियमों की समीक्षा कर सकेगा तथा इन विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को हटाये जाने बावत् समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

18 व्यावृत्ति

18.1 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्धेश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्धेश्य से आवश्यक हो ।

18.2 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

18.3 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

टीप : इस **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2010" (आरजी–33(I), वर्ष 2010)"** के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव

Bhopal, Dated 9th November, 2010

No. 3042/MPERC-2010. In exercise of the powers under Section 181(2) (zp) read with Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby revises the "MPERC (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations, 2008" notified in Madhya Pradesh Gazette vide No. 2261 dated 22nd October, 2008 and published on 7th November, 2008.

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (COGENERATION AND GENERATION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY) (REVISION-I) REGULATIONS, 2010.

1. **Preamble :**

The Commission had specified Renewable Purchase Obligations till FY 2010-11 in respect of all Non-conventional Sources of Energy. The Commission has received communications and representations from various agencies to promote Solar Power and other Non-conventional Sources of Energy and also to provide facility for banking of un-used power. Therefore, a separate Renewable Purchase Obligations for Solar and Non-Solar Power alongwith Banking Policy are being specified through the revision in the existing Regulations.

2. **Short Title and Commencement**: 2.1 These Regulations may be called the '**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations, 2010 (Revision-I) {RG-33(I) of 2010}.**

2.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of Government of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall apply to the whole of the Madhya Pradesh State.

3. **Definitions**

(i) **'ABT'** means Availability Based Tariff;

(ii) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof;

(iii) **'Central Agency'** means the agency operating the National Load Despatch Centre or such other Agency as the Central Commission may from time to time specify for issuing Renewable Energy Certificate;

(iv) **'Central Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

(v) **'Certificate'** means the Renewable Energy Certificate issued by the Central Agency

in accordance with the procedures prescribed by it and under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission(Terms and conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010;

(vi) **'Cogeneration'** means a process which simultaneously produces two or more forms of useful Energy (including Electricity);

(vii) **'Commission'** means the MP Electricity Regulatory Commission referred to in subsection (1) of Section 82 of the Act;

(viii) **'Distribution Licensee'** means a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;

(ix) **'Forbearance Price'** means the ceiling price as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010, as amended from time to time, within which only REC Certificate can be dealt in power exchange;

(x) **'MNRE'** means Ministry of New and Renewable Energy of the Government of India;

(xi) **'Obligated Entity'** means the entity such as the Distribution Licensees, Captive Consumers and Open Access Consumer who are mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation under these Regulations;

(xii) **'Open Access Consumer'** means a person who has availed open access either under CERC (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 (as amended) or under MPERC (Terms and conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 and shall include Short-term Transmission/Distribution Consumers also as defined in any other Regulations specified by CERC/MPERC from time to time;

(xiii) **'Power Exchange'** means any exchange operating as the Power Exchange for electricity in terms of the guidelines issued by the Central Commission;

(xiv) **'Preferential Tariff'** means the tariff fixed by the State Commission for purchase of energy from Renewable Energy Sources based on the 'cost plus rate of return' methodology;

(xv) **'Renewable Energy Sources'** means renewable sources such as small Hydro, mini Hydro, Wind, Solar, Biomass, Bio Fuel Cogeneration, Urban/Municipal waste and such other sources as approved by MNRE;

(xvi) **'SLDC'** means State Load Despatch Centre as defined in the M.P. Electricity Grid Code;

(xvii) **'State Agency'** means the State Nodal Agency or such other Agency in the Madhya Pradesh State to be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these Regulations;

(xviii) **'Solar PV Power Plant'** means the Solar Photo Voltaic Power Plant that uses sunlight for direct conversion into electricity through Photo Voltaic Technology;

(xix) **'STU'** means the State Transmission Utility;

(xx) **'Transmission Licensee'** means a Licensee authorised to establish or operate Transmission lines;

(xxi) **'UI'** means Un-scheduled Interchange; and

(xxii) **'Year'** means a Financial Year commencing on 1st April of the Calendar year and ending on 31st March of the subsequent Calendar year.

(xxiii) Unless the context otherwise requires, words and expressions used in these Regulations and not defined but defined in the Act shall have the same meaning.

PART – A

4. **Quantum of Purchase of Electricity from Co-generation and Renewable Sources of Energy**

4.1. The minimum quantum of electricity to be procured by all the Obligated Entities from generators of Energy including Co-generation from Renewable Sources of electricity expressed as percentage of their total annual procurement of Electrical Energy during the following Financial Years shall be as under:-

Financial Year	Cogeneration and other Renewable Sources of Energy		
	Solar (%)	Non Solar (%)	Total (%)
2010-11	-	0.80	0.80
2011-12	0.40	2.10	2.50
2012-13	0.60	3.40	4.00
2013-14	0.80	4.70	5.50
2014-15	1.00	6.00	7.00

4.2. If the Distribution Licensees fulfill the minimum purchase requirements and still have offers from energy generators including Co-generators from Renewable Sources, then either the Distribution Licensee or the Investor/Developer can approach the Commission for approval of such additional procurement offers.

4.3. If an Obligated Entity is not able to fulfill the minimum purchase requirements as per Regulation 4.1 above, such Obligated Entity shall be required to purchase Energy Certificates issued by the Central Agency as specified in PART-B of these Regulations.

4.4. The condition of minimum purchase requirement for the Obligated Entities can be relaxed by the Commission to the extent it is affected by the Force Majure Conditions such as war, strike, lockout, riots, act of god or natural calamity etc.

4.5. The energy from all the Renewable Sources of Energy and Co-generation units may be procured centrally by the M.P. Power Trading Co. Ltd. on behalf of the Distribution Licensees, at the tariff determined by the Commission from time to time in its Tariff orders. The energy so procured centrally will be allocated by M.P. Power Trading Co. Ltd. to all Distribution Licensees in the ratio of total actual energy input to each one of them in previous Financial Year. This arrangement of central procurement shall be applicable till the related provisions of 'Transfer Scheme Rules, 2006' notified by the Government of Madhya Pradesh remain in force.

4.6. The Power Purchase Agreement (PPA) shall be signed between the Developer and the M.P. Power Trading Co. Ltd. who in turn will have back to back Power Supply Agreement with the Distribution Licensees.

4.7. The Distribution Licensees shall indicate the proposed quantum of purchase of energy from Co-generation and all Renewable Sources of Energy for ensuing year of the control period in the application for determination of distribution/retail tariff duly indicating the sources of purchase based on above allocation.

5. Determination of Tariff of Electricity from Co-generation and Renewable Source

The Commission shall determine the Tariff from time to time for procurement of power from generation including Co-generation from Renewable Sources of Energy for specified control period.

6. Power Purchase Agreement

6.1. The Power Purchase Agreement period will be of minimum 20 years, if not otherwise specified in the tariff orders, from the date of commissioning of plant. However, the agreement may be for a shorter period in case the Developer opts to supply to the Distribution Licensees after consuming the electricity for self use/ third party sale for lesser period.

6.2. The Developers are required to get all the required statutory consents including permission from the Commission before entering into the Agreement. Such consent/permission shall have validity for the entire period of the Agreement.

7. **Connectivity and Metering**

7.1. The Generation and Co-generation from Renewable Sources, except Roof-top Solar PV and Bio-gas Sources, shall be connected to the State Grid at a Voltage level of 132/33/11 kV based on technical suitability determined by the Licensee. For Roof-top Solar PV sources and bio-gas Plants, connectivity may be allowed at Low Voltage or 11/33 kV as considered technically suitable by the Distribution Licensee.

7.2. As per incentive policy for encouraging generation of power in Madhya Pradesh through Non-conventional Energy sources (solar, wind, bio-energy, etc.) issued vide notification dated 17.10.2006 by the Government Madhya Pradesh, the power evacuation will be an integral part of the project and all expenses for power evacuation facility shall be borne by the Developer. Such infrastructure laid, notwithstanding that cost of which has been paid for by the Developer, shall be the property of the concerned Licensee for all purposes. The Licensee shall maintain it at the cost of the Developer and shall have the right to use the same for evacuation of power from any other Developer subject to the condition that such arrangement shall not adversely affect the existing Developer(s).

7.3. The metering for measuring parameters required as per Tariff orders issued from time to time shall be installed at Generating Plant site as per the provisions in the incentive policy notified by the Government of Madhya Pradesh on 17.10.2006 for encouraging generation of power in Madhya Pradesh through Non-conventional Energy Sources.

7.4. The meter reading will be carried out by the respective Distribution Licensee/Transmission Licensee, as the case may be. For the purpose of admitting the bills for payment, MP Tradeco shall accept the certificate given by the Officer designated by the concerned Discom/Transmission Licensee in respect of units injected into the Grid.

8. **Open Access for Co-generation and Renewable Sources of Energy**

Any person generating electricity from Co-generation and Renewable Sources of Energy shall have Open Access, subject to availability of adequate transmission capacity in Transmission Licensee's system within the State as per Open Access Regulations under Section 42 of the Act subject to the provisions of the Government of M.P. incentive policy for encouraging generation of power in M.P. through Non-conventional Energy Sources notified on 17.10.2006.

9. **Scheduling of Co-generation and Renewable Sources of Energy**

The generation from Co-generation and Renewable Sources of Energy are excluded from the ambit of "merit order dispatch principles".

10. **Drawing power during shut down by Generator/Co-generation from Renewable Sources**

The Generator/Co-generation from Renewable Sources would be entitled to draw power

exclusively for its own use from the Distribution Licensee's network during shutdown period of its Plant or during other emergencies. The energy consumed would be billed at the rate applicable to Temporary Connection under HT Industrial Category.

11. Other Applicable Conditions

11.1. The Payment mechanism shall be as prescribed by the Commission in the Tariff orders issued/to be issued from time to time.

11.2. The reduction in Contract Demand by such consumers of the Distribution Licensees who are availing power supply from Non-conventional Sources of Energy shall be allowed as per the provisions in the Government of M.P. incentive policy for encouraging generation of power in M.P. through Non-conventional Energy Sources notified on 17.10.2006.

12. Banking

12.1. The facility for Banking of the entire electric energy generated in each Financial Year from Non-conventional Energy Sources will be provided on the following conditions:

(i) The entire power generated from Non-conventional Sources of Energy during a Financial Year may be allowed for Banking.

(ii) The accounting of Banking of Power will be certified by MP Power Trading Co. Ltd./Distribution Licensees at the end of each Financial Year.

(iii) The quantum of banked power will be returned at a time to be decided by the MP Power Trading Co. Ltd. /Distribution Licensees.

(iv) The banked power may normally be returned from 15th July to 15th October from 2300 hours to 2400 hours and 0000 hours to 1700 hours by deducting 2% in terms of units (kWh) towards Wheeling Charges.

(v) The banked power may also be returned during November to February keeping in view the availability of power and demand in the Rabi Season and at the time of Peak Demand as decided by the MP Power Trading Co. Ltd./Distribution Licensees.

(vi) If a portion of banked power still remains un-adjusted at the end of Financial Year, then such remaining power would be construed as power purchased and the payment for the same will be made by the MP Power Trading Co at the rate determined by the Commission from time to time for Inadvertent Flow of Energy from Non-conventional Source.

12.2. Wheeling charges, Cross subsidy surcharge and applicable surcharge on Wheeling charges shall be applicable as decided by the Commission from time to time. Captive consumers and Open Access Consumers shall be exempted from payment of Open Access charges in respect of energy procured from Renewable Sources of Energy.

PART - B

13. Renewable Purchase Obligation (RPO)

13.1. The RPO specified in Regulation 4.2 hereinabove shall always be kept reserved by the Obligated Entities for procurement of Specific type of Renewable Energy, if any, and shall be diverted, if necessary, to other Renewable Energy Sources, only on a temporary basis, and also that all energy available from this source shall be purchased until it reaches the aforementioned percentage even if consequently the total Renewable Energy purchase exceeds the total RPO considering the Renewable Energy Power Purchase Commitments made under the Power Purchase Agreement (hereinafter, "the PPAs") already entered into and consented to by the Commission.

13.2. Further, such obligation to purchase Renewable Energy shall be inclusive of the purchases, if any, from Renewable Energy Sources already being made by Obligated Entities.

13.3. Subject to the provisions of this Regulation, such purchase of energy shall be made from amongst the sources of Renewable Energy approved by MNRE.

13.4. The power purchase under the PPAs for the purchase of Renewable Energy Sources already entered into by the Distribution Licensees and consented to by the Commission shall continue to be made till their present validity, even if the total purchases under such PPAs exceed the percentage as specified hereinabove.

14. Certificates under the Regulations of the Central Commission

14.1. Subject to the terms and conditions contained in these Regulations, the Commission recognizes the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 as the valid instrument for full or partial discharge of the mandatory obligations set out in these Regulations for the Obligated Entities to buy electricity from Renewable Energy Sources.

14.2. Subject to such directions as the Commission may give from time to time, the Obligated Entities shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 notified by the Central Commission in regard to the procurement of the Renewable Energy Certificates for fulfilment of the Renewable Purchase Obligation under these Regulations.

14.3. The certificates purchased by the Obligated Entities from the Power Exchange in terms of the Regulations of the Central Commission shall be deposited by the Obligated Entities with the Commission within 15 days of the purchase.

15. Effect of Default

15.1. In the event the Obligated Entities do not fulfil the mandate of the obligation to purchase energy from Renewable Energy Sources as provided in these Regulations during any Financial Year and also do not purchase the certificates from the Power Exchange, the Commission may :

(i) direct the Obligated Entity to deposit into a separate Fund, to be maintained by such Obligated Entity, such amount as the Commission may determine as required for purchase of Certificates to the extent of the estimated obligation on the basis of the shortfall in units of RPO and the Forbearance Price of the Certificates which shall be utilized, as may be directed by the Commission, partly for purchase of the certificates and partly for development of Transmission infrastructure for evacuation of power from Generating Stations based on Renewable Energy Sources:

Provided that the Obligated Entities shall not be authorized to use the fund created in pursuance of Clause (i) above, without prior approval of the Commission;

(ii) to the extent of the shortfall in the fulfillment of the Obligations, the Commission may empower an Officer of the State Nodal Agency to procure from the Power Exchange the required number of Certificates out of amount in the Fund.

15.2. The Distribution Licensee shall be in breach of its Licence condition if it fails to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of the direction.

15.3. Further, where any person though required to comply with these Regulations fails to purchase the required percentage of power from Renewable Energy Sources or the Renewable Energy Certificates, he shall also be liable for penalty as may be decided by the Commission under Section 142 of the Act.

PART - C

16. Power to Amend

16.1. The Commission may at any time, add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

16.2. In the event of any dispute, the matter shall be referred to the Commission whose decision in this regard shall be final.

17. Power to Remove Difficulties

The Commission may suo moto or on an application from any person generating electricity from Co-generation and Renewable Sources or Distribution Licensee, review these Regulations and pass appropriate orders to remove any difficulty in implementing the provisions of these Regulations.

18. Savings

18.1. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

18.2. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

18.3. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission

P.K.Chaturvedi, Commission Secretary

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.